न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला – खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
611A / 2022	13 / 12 / 2022	12/07/2024

उनवान

01. जयनारायण,
02. हुक्मी,
03. बन्सी पुत्रान श्री बुधराम
04. चन्दगीराम
05. राकेश कुमार पुत्रान श्री रामजीलाल
06. अशोक कुमार
07. विनोद कुमार पुत्रान् श्री परसराम जाति अहीर निवासीगण ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

––––:: वादीगण

बनाम

01. रामोतार पुत्र सावंलिया जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)
02. राज्य सरकार जरिये पैराकार भूमिधारी, तहसीलदार साहाब, तहसील तिजारा जिला अलवर
03. शाखा प्रबन्धक,आईसीआईसी आई बैक शाखा खैरथल जिला अलवर

–––––:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक गय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीगण :– श्री रामौतार यादव प्रथम, एडवोकेट — उपस्थित
प्रविवादी संख्या 01 :– श्री चन्द्रभान शर्मा, एडवोकेट — अनुपस्थित

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नं. 354 रकबा 8 बिस्वा, 356 रकबा 8 बिस्वा, जिसके हाल आराजी खसरा नं. 426 रकबा 0.21है0 पैमुद किये गये है, जो वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर मे स्थित है। जो आराजी इस वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा हाल जमाबन्दी व बयनामाजात दिनांक 17.07.1969 व 18.07.1969 संलग्न वाद पत्र है। उपरोक्त साबिक आराजी खसरा नं. 354 रकबा 8 बिस्वा ... जो कि सावंलिया पुत्र श्री खुबराम जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा की काश्तकार खातेदारी की आराजी थी। सावंलिया को अपनी पारिवारिक जरूरत के लिए रकम की आवश्यकता थी। साबिक आराजी खसरा नं. 355 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम ईशरोदा को जरिये रजि. बयनामा दिनांक 17.07.1969 को हम वादीगण सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.08 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

लागायत 3 जयनारायण, हुकमी, बन्सी व वादीगण सं. 4 व 5 के पिता रामजीलाल ने 2/3 भाग व वादीगण सं. 6 व 7 के दादा छोटा ने 1/3 भाग समस्त प्रतिफल रकम प्राप्त कर, बाकब्जा सांवलिया से खरीद की है। इस प्रकार साबिक आराजी खसरा नं. 354 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम ईशरोदा को जरिये रजि. बयनामा दिनांक 18.07.1969 को हम वादीगण सं. 1 लगायत 3 जयनारायण, हुकमी, बन्सी व वादीगण सं. 4 व 5 के पिता रामजीलाल ने 2/3 भाग व वादीगण सं. 6 व 7 के दादा छोटा ने 1/3 भाग समस्त प्रतिफल रकम प्राप्त कर, बाकब्जा सांवलिया से खरीद की है। वक्त खरीद से ही उपरोक्त खरीदादारान आराजी पर काबिज व दाखिल हो गये। उपरोक्त खरीदारन जो कि आराजी के सदभावी क्रेता है और असल बयनामेजात हल्का पटवारी को इन्तकाल दर्ज करने बाबत दे दिये और हल्का पटवारी ने बयनामेंयात के अनुसार इन्तकाल दर्ज करने का आश्वासन दिया। उपरोक्त खरीदारान जो कि हल्का पटवारी के आश्वासन पर रहे। खरीददार रामजीलाल व छोटा देहान्त हो गया। रामजीलाल के विधिक वारिसान वादीगण सं. 4 व 5 है तथा छोटा के विधिक वारिसन वादीगण सं. 6 व 7 है, जो अपने पूर्वजो से विरासत से मिली खरीदशुदा आराजी पर वादीगण सं. 1 लगायत 3 के साथ काबिज व दाखिल चले है तथा मौके पर वादीगण का वास्तविक कब्जा है। हल्का पटवारी ने बयनामेजात के अनुसार इन्तकाल दर्ज व मन्जूर नहीं किया और आराजी पूर्व खातेदारी सांवलिया के नाम रही। सैटलमेन्ट विभाग ने कर्मचारियों व अधिकारियों ने जमाबन्दी सम्वत 2029 पैमुद करते हुये साबिक आराजी खसरा नं. 354 रकबा 8 बिस्वा, 355 रकबा 8 बिस्वा, के हाल आराजी खसरा नं. 426 रकबा 0.21 है बनाये और पूर्व खातेदारी सांवलिया के नाम का अमल कर दिया। जो खिलाफ कानून, खिलाफ रिकार्ड व खिलाफ मौका है। राजस्व कर्मचारियों को बयनामेजात के अनुसार उपरोक्त खरीददार वादीगण के नाम का अमल करना चाहिये था। सांवलिया का देहान्त हो गया है और उसके मरने के बाद उसके पुत्र प्रतिवादी सं. 1 ने बयनामा की जानकारी होते हुये अपने नाम का विधि विरूद्व तरीके से विरासत इन्तकाल दर्ज व मन्जूर कराकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 ने अमल करा लिया और हाल जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम का गलत अमल चला आ रहा है, जो बिला कब्जा है। बाद बेचान सांवलिया का आराजी से कोई देना नहीं था और ना ही उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 1 का बाद बेचान कोई हक व अधिकार निहित नहीं था। गलत अमल हम वादीगण के हकूको के विरूद्व बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रभाव शून्य है। जिसे हम वादीगण इसी कदर बातिल वो बेअसर करा दिलाकर हम वादीगण सं. 1 लगायत 5 विवादित आराजी के 2/3 भाग के तथा वादीगण सं. 6 व 7 विवादित आराजी के 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 1 के अमल को हजफ कराकर वादीगण इसी कदर इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री पाने के अधिकारी है। हम वादीगण जो कि ग्रामीण परिवेश के भोले भाले व्यक्ति है, जिनमे वादीगण सं. 1 लगायत वृद्व आदमी है, जिन्हे कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं है और ना ही हम वादीगण को गलत अमल की पूर्व में कोई जानकारी रही है। हम वादीगण को विवादित आराजी पर लोन लेने की जरूरत हुई तो हम वादीगण हल्का पटवारी के पास जमाबन्दी का अवलोकन किया तो उसमें विवादित आराजी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होना बताया। जिस पर हम वादीगण ने समस्त नकुलात एकत्रित का कानूनी राय मशवरा कर बयनामेंजात की सत्य प्रति लेकर इन्तकाल दर्ज कराने के लिए हल्का पटवारी के पास गये तो उन्होनें कहां कि यह साबिक नम्बर से बयनामें है और बेचने वाला भी मर गया है और उसकी आराजी उसके पुत्र के नाम आ गई है। इसलिए तुम्हारे नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हो सकता है। जिस पर हम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.08 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

(3)

वादीगण ने दिनांक 30.11.2022 को प्रतिवादी सं. 1 से सम्पर्क का रिकार्ड दुरूस्त कराने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 रिकार्ड दुरूस्त कराने से साफ तौर से इन्कार हो गया और ऐलानिया तौर से धमकी दी कि अब आराजी रिकार्ड में मेरे नाम है और आराजी को किसी दीगर जगह खुर्द बुर्द कर बेदखल करूगां। यदि प्रतिवादी सं. 1 अपने नापाक व दूषित इरादो में कामयाब हो गया तो हम वादीगण को अजहद हानि होगी, दीगर मुकदमाबाजी में उलझना होना पडेगा। हम वादीगण को अपनी खरीदशुदा आराजी से महरूम होना पडेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी तरह रूप्यों में आंकी जाना सम्भव नहीं होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। विवादित आराजी जो कि हम वादीगण की खरीदशुदा आराजी है। हम वादीगण आराजी के सदभावी क्रेता है। हम वादीगण विवादित आराजी पर काविज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर वादीगण का विवादित आराजी पर वास्तविक कब्जा है। वादीगण के हकूक कानून रक्षित है। इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना लाजिम आया है। वाद पत्र के लिए बिनायेदावी बिनाये मुखायमत दिनांक 30.11.2022 को प्रतिवादी सं. 1 ने अमल दुरूस्त कराने से इन्कारी व धमकी से पैदा होकर दावा हाजा साधारणतया अन्दर अवधि पेश है। दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हु0ई0 दवामी का है। तहसीलदार को प्रतिवादी सं. 2 की पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। तहसीलदार जो कि विधिक व्यक्ति है और विधिक व्यक्ति के विरूद्व वाद पत्र पेश करने से पहले उन्हे धारा 80(2) जा0दी0 दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना अनिवार्य है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 अमल की आड में विवादित आराजी को किसी दीगर जगह खुर्द बुर्द करने की धमकी दी है। इसलिए अब नोटिस दिया जाना कतई सम्भव नहीं है। दावा अरजेन्ट नेचर का है। इसलिए बिना नोटिस दिये ही दावा हाजा पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 अलग से पेश किया जा रहा है। विवादित आराजी बैंक में रह है। इसलिए बैंक को प्रतिवादी सं. 3 की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। विवादित आराजी न्यायालय श्रीमान के हदूद है। इसलिए दावा हाजा क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। वाद पत्र पर 2रू न्याय शुल्क व तलबाना शुल्क नियमानुसार चस्पा कर पेश है। वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि साबिक आराजी खसरा नं. 354 रकबा 8 बिस्वा, 356 रकबा 8 बिस्वा, जिसके हाल आराजी खसरा नं. 426 रकबा 0.21है0 पैमुद किये गये है, जो वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर मे स्थित है। जो आराजी इस वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा हाल जमाबन्दी व बयनामेजात दिनांक 17.07.1969 व 18.07.1969 संलग्न वाद पत्र है। उपरोक्त साबिक आराजी खसरा नं. 354 रकबा 8 बिस्वा, 355 रकबा 8 बिस्वा जो कि सावंलिया पुत्र श्री खुबराम जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। सावंलिया को अपनी पारिवारिक जरूरत के लिए रकम की आवश्यकता थी। साबिक आराजी खसरा नं. 355 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम ईशरोदा को जरिये रजि. बयनामा दिनांक 17.07.1969 को हम वादीगण सं. 1 लागायत 3 जयनारायण, हुकमी [illegible] वादीगण सं. 4 व 5 के पिता रामजीलाल ने 2/3 भाग व वादीगण सं. 6 व 7 के दादा छोटा [illegible] समस्त प्रतिफल रकम प्राप्त कर, बाकब्जा सांवलिया से खरीद की है। इस प्रकार साबिक आराजी [illegible] 354 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम ईशरोदा को जरिये रजि. बयनामा दिनांक 18.07.1969 को हम [illegible] सं. 1 लगायत 3 जयनारायण, हुकमी, बन्सी व वादीगण सं. 4 व 5 के पिता रामजीलाल ने 2/3 भाग व वादीगण सं. 6 व 7 के दादा छोटा ने 1/3 भाग समस्त प्रतिफल रकम प्राप्त कर, बाकब्जा सांवलिया से खरीद की है।सैटलमेन्ट विभाग ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.08 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

(4)

कर्मचारियों व अधिकारियों ने जमाबन्दी सम्वत 2029 पैमुद करते हुये साबिक आराजी खसरा नं. 354 रकबा 8 बिस्वा, 355 रकबा 8 बिस्वा, के हाल आराजी खसरा नं. 426 रकबा 0.21 है बनाये और पूर्व खातेदारी सांवलिया के नाम का अमल कर दिया। जो खिलाफ कानून, खिलाफ रिकार्ड व खिलाफ मौका है। राजस्व कर्मचारियों को बयनामेजात के अनुसार उपरोक्त खरीददार वादीगण के नाम का अमल करना चाहिये था। सांवलिया का देहान्त हो गया है और उसके मरने के बाद उसके पुत्र प्रतिवादी सं. 1 ने बयनामा की जानकारी होते हुये अपने नाम का विधि विरूद्व तरीके से विरासत इन्तकाल दर्ज व मन्जूर कराकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 ने अमल करा लिया और हाल जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम का गलत अमल चला आ रहा है, जो बिला कब्जा है। बाद बेचान सांवलिया का आराजी से कोई देना नहीं था और ना ही उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 1 का बाद बेचान कोई हक व अधिकार निहित नहीं था। गलत अमल हम वादीगण के हकूको के विरूद्व बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रभाव शून्य है। जिसे हम वादीगण इसी कदर बातिल वो बेअसर करा दिलाकर हम वादीगण सं. 1 लगायत 5 विवादित आराजी के 2/3 भाग के तथा वादीगण सं. 6 व 7 विवादित आराजी के 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 1 के अमल को हजफ कराकर वादीगण इसी कदर इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री पाने के अधिकारी है। डिक्री हु0ई0 दवामी प्रतिवादी सं 01 को इस कदर अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित हाल आराजी खसरा नंबर 426 रकबा 0.21है0 वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर मे स्थित है। प्रतिवादी सं. 1 हम वादीगण को उसकी खरीदशुदा आराजी से जबरन बेदखल ना करें, ना ही प्रतिवादी सं. 1 गलत अमल के आधार पर आराजी को खुर्दे बुर्द करें, ना ही प्रतिवादी सं. 1 मुठमर्दी से विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल करें,, ना ही विवादित आराजी से वादीगण को आने जाने से रोके, ना ही काश्त कारोबार मे कोई रूकावट पैदा करें, ना ही मजाहमत व मदाखलत करें। मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी सं. 1 पूरी तरह से पाबन्द रहे। हर्जा खर्चा मुकदमा हम वादीगण को प्रतिवादी सं. 1से दिलाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित व प्रति0 स0 1 व 2 बाद तामील बार-बार अवसर उपरान्त जवाबदावा पेश नही करने पर जवाब दावा अवसर समाप्त किया गया व प्रतिवादी संख्या 03 के बाद तामील उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादीगण ने साक्ष्यवादी मे शपथ पत्र PW 01 बन्शी उम्र करीब 75 साल पुत्र श्री बुधराम जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज) व शपथ पत्र PW 02 भारत उम्र करीब 25 साल पुत्र श्री महेन्द्र निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज) व शपथ पत्र PW 03 झूथर उम्र करीब 90 साल पुत्र श्री लीला निवासी ग्राम ईशरो[illegible] तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज) पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये [illegible] मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श 1), नकल बैयनामा दिनांक 17.07.1998 (प्रदर्श 2), नकल [illegible] (प्रदर्श 3), जमाबन्दी हाल (प्रदर्श 4) पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.08 16:12:05 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

पत्रावली का अवलोकन किया (5) बहस वादी पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनाम दिनांक 17.7.1969 व 18.07.1969 से वादीगण उक्त विवादीत आराजी के केताग्रण सिद्व होते है। जिससे वाद डिकी योग्य है।

अतः दावा वादीगण डिकी किया जाकर हाल आराजी हाल खसरा नम्बर 426 रकवा 0.21है0 वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा(राज) मे प्रतिवादी सं. 01 का नाम हजफ किया जाकर, वादी संख्या 1, 2, 3 को 1/2 भाग समभाग व वादी संख्या 4, 5 को 1/6 भाग समभाग व वादी संख्या 6,7 को 1/3 भाग समभाग का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा, आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.08 15:22:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला – खैरथल–तिजारा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

पत्रावली नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
611A / 2022	13 / 12 / 2022	12/07/2024

उनवान

01. रामनारायण,
02. दुलनी,
03. चन्दी पुत्रान श्री बुधराम
04. चन्दगीराम
05. राकेश कुमार पुत्रान श्री रामजीलाल
06. अशोक कुमार
07. विनोद कुमार पुत्रान् श्री परसराम जाति अहीर निवासीगण ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

–––––:: वादीगण

बनाम

01. रामौतार पुत्र सावंलिया जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)
02. राज्य सरकार जरिये पैराकार भूमिधारी, तहसीलदार साहाब, तहसील तिजारा जिला अलवर
03. शाखा प्रबन्धक,आईसीआईसी आई बैंक शाखा खैरथल जिला अलवर

––––––:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक गय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीगण :– श्री रामौतार यादव प्रथम, एडवोकेट उपस्थित
प्रविवादी संख्या 01 :– श्री चन्द्रभान शर्मा, एडवोकेट अनुपस्थित

–:: पर्चा डिक्री ::–

हाल आराजी हाल खसरा नम्बर 426 रकबा 0.21है0 वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा(राज) मे प्रतिवादी सं. 01 का नाम हजफ किया जाकर, वादी संख्या 1, 2, 3 को 1/2 भाग समभाग व वादी संख्या 4, 5 को 1/6 भाग समभाग व वादी संख्या 6,7 को 1/3 भाग समभाग का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.08 16:22:05 IST
Reason: Self Attested

(संजीव कुमार वर्मा, आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)